फर्द अहकाम

रामकुंवर बनाम छोटू

प्रकरण सं0.....01..../2017

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
जन्शीराम लालाराम हनुमान दीपचन्द धीवर छोटू छोटू [illegible] [illegible] [illegible]	18/6/17 - पत्रावली आज दिनांक को व्यापार आपके हाजर कोर्ट मजकूर में पेश हुई प्रार्थीगण रामकुंवर व फूलचन्द व ~~अप्रार्थी~~ जन्शीराम, लालाराम हनुमान, दीपचन्द, धीवर, लाडू, छोटू भगवान तथा उपस्थित। उभय पक्षों की सुनवाई लोक अदालत की मार्फत से की गई। प्रार्थीगण के कथन किया कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में अब कोई विवाद नहीं है इसलिये T.S प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। प्रार्थीगण के निवेदन पर आज्ञप्ति प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RT Act को खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नकल से कार्य हो। बाद प्रार्थी फाईल उपखण्ड हो।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़